

न्यायालय:- अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 33/13 क्लेम

1-श्रीमती भूरी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री मथुरीप्रसाद
आयु 70 वर्ष

2-हरीसिंह पुत्र मथुरीप्रसाद आयु 30 वर्ष समस्त
जाति जाटव निवासीगण वार्ड नं017 गौतम नगर
गोहद चौराहा परगना गोहद जिला भिण्ड

-----आवेदकगण

बनाम

1-इस्लाम अली पुत्र उस्मान अली खान आयु 25
वर्ष जाति मुसलमान निवासी 130/322-1
अजीतगंज कानपुर हाल निवासी सरदार पुर
थाना सोरीख जिला कन्नोज

-----यान मालिक

2-अल्लाह रक्खा पुत्र अजुमुद्दीन उर्फ
अजुहुमुद्दीन खान आयु 21 वर्ष जाति मुसलमान
निवासी ग्राम उग्रापुर पोस्ट कन्नजरापुर थाना
कमालगंज जिला फरुखावाद उ0प्र0 हाल
निवासी छिवरामउ विरतिया मौहल्ला उंचा एक
मीनार जिला कन्नोज उ0प्र0

-----यान चालक

3-शाखा प्रबंधक इफको टोकियो जनरल
इंश्योरेंस कंपनी लि0 7/136-एफ स्वरूप नगर
कानपुर उ0प्र0

----- अनावेदकगण

आवेदकगण द्वारा श्री सुनील कांकर अधिवक्ता ।

अनावेदक क्रं01,2 द्वारा श्री के0पी0 राठोर अधि0 ।

अनावेदक क्रं03 द्वारा श्री धीरसिंह तोमर अधि0 ।

//अधिनिर्णय//

(आज दिनांक 21-11-14 को घोषित किया गया)

1- आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत क्षतिपूर्ति आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 166,140 मोटर व्हीकल एक्ट का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है । जिसमें आवेदकगण ने वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी078 बी0टी0 5286 के चालक स्वामी एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध मृतक नाथूराम की मृत्यु होने के फलस्वरूप उसके बैध बारिस एवं आश्रित होने के आधार पर प्रतिकर स्वरूप 2065000/-रुपये क्षतिपूर्ति दिलाये जाने वाबत् आवेदनपत्र पेश किया गया है ।

2- आवेदकगण का आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका क्रमांक-1 के जेट व आवेदिका क्रमांक-2 के ताऊ नाथूराम जाटव पुत्र दुर्गाप्रसाद दिनांक 20-7-13 को दोपहर 2:45 बजे अपने घर गोतम नगर से दबाई लेने गोहद चौराहा मेडिकल पर आये थे । गोहद चौराहा के पास खड़े थे और रोड क्रॉस करना चाह रहे थे तभी ग्वालियर की ओर से ट्रक क्रमांक यू0पी078 बी0टी0 5286 जिसे कि अनावेदक क्रमांक-1 तेजी व लापरवाही से चलाकर ला रहा था तथा रोड के किनारे खड़े नाथूराम जाटव को टक्कर मारदी जिससे उनके सिर में दाहिनी तरफ व सिर के पीछे मुंह में दाहिने कान में चोट आकर खून निकलने लगा । उसे ईलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद लाया गया जहां उसी दिनांक को उसकी मृत्यु हो गयी । घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद चौराहा पर की गयी जिस पर अप0कं0 178/13 धारा 279,337,304ए भा0द0सं0 का अनावेदक क्रमांक-2 के विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ और अनावेदक क्रमांक-2 के विरुद्ध अभियोगपत्र जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय गोहद में पेश किया गया, जहां कि उसके विरुद्ध प्रकरण चल रहा है ।

3- आवेदनपत्र में यह भी दर्शाया गया है कि दुर्घटना के समय मृतक नाथूराम 60 वर्ष की उम्र का होकर शारीरिक रूप से स्वस्थ था एवं कारीगरी मकान बनाने का काम कर रहा था जिससे 12000/- रुपये प्रतिमाह कमा लेता था । मृतक आवेदकगण के साथ ही निवास करता था क्योंकि वह अविवाहित था और आवेदकगण का भरण पोषण उनके द्वारा किया जाता था । आवेदकगण मृतक पर आश्रित थे । उपरोक्त दुर्घटना अनावेदक क्रमांक-2 के द्वारा अनावेदक क्रमांक-1 के स्वामित्व के वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी0 75 बी0टी0 5286 को तेजी व लापरवाही से चलाने के फलस्वरूप घटित की गयी है जो कि उपरोक्त वाहन दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी के यहां बीमित था । उपरोक्त दुर्घटना में नाथूराम की मृत्यु हो जाने से आवेदकगण को शारीरिक व आर्थिक और मानसिक क्षति हुयी है । आवेदकगण मृतिका के बैध बारिस होकर उस पर आश्रित थे और मृतक की संपत्ती पर हक रखते हैं । मृतक को घटनास्थल से उपचार हेतु ले जाने से उसके अन्तिम संस्कार का व्यय,

मृतक की मृत्यु से शारीरिक व मानसिक कष्ट एवं आमदनी के नुकसानी के मद् में कुल मिलाकर 2065000/- रुपये क्षतिपूर्ति वाबत् दिलाये जाने का निवेदन किया है ।

4- अनावेदक क्रमांक-1 व 2 ने अपने जवाब में आवेदक के आवेदनपत्र के अभिवचनों से इन्कार करते हुये प्रश्नाधीन ट्रक से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना चालक की लापरवाही से घटित होने से इन्कार किया है तथा पुलिस थाना गोहद चौराहा के द्वारा गलत रूप से प्रकरण पंजीबद्ध करना बताते हुये आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत क्षतिपूर्ति आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है ।

5- अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी ने अपने जवाब में आवेदक के आवेदनपत्र के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त अन्य अभिकथनों से इन्कार किया है तथा यह बताया है कि दुर्घटना घटित होने के लिये मृतक नाथूराम स्वयं जिम्मेदार हैं वह लापरवाही से निकल रहा था और किसी अन्य वाहन से टकरा गया था । गलत आधारों पर क्षतिपूर्ति आवेदनपत्र पेश किया गया है । मृतक की मृत्यु दुर्घटना के समय 70 वर्ष की थी इसके अतिरिक्त बीमा कंपनी के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक-2 के पास जो कि ट्रक का चालक है के पास बैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस मौजूद नहीं था जिससे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया है । इसके अतिरिक्त उक्त वाहन को परमिट व फिटनेस के बिना चलाया गया है जिससे भी बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है । मृतक जो कि अत्यधिक बृद्ध था उसकी कोई औलाद नहीं थी । ऐसी दशा में क्षतिपूर्ति वाबत् पेश आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

6- आवेदक एवं अनावेदक पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है जिनके समक्ष उनके निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं :-

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 20-7-13 के दोपहर भिण्ड ग्वालियर रोड गोहद चौराहा पर अनावेदक क्रमांक-2 के द्वारा वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी078 बी0टी0 5286 को तेजी व लापरवाही से चलाकर नाथुराम जाटव को टक्कर मारी जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुयी ?	
2	क्या मृत्यु के समय मृतक नाथुराम की उम्र 60 साल की थी ?	

3	क्या मृतक नाथूराम मकान बनाने का कार्य करने से 12000/- रुपये प्रतिमाह आमदनी अर्जित कर लेता था ?	
4	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन ट्रक मोटरयान अधिनियम के प्रावधान तथा बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत चलाया जा रहा था यदि हां तो प्रभाव ?	
5	क्या आवेदकगण क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है यदि हां तो किस से एवं कितना कितना ?	
6-	सहायता एवं व्यय ?	

// निष्कर्ष के आधार //

बिन्दु क्र0 1 का सकारण निष्कर्ष:-

07. आवेदक हरीसिंह के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में आवेदनपत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि दिनांक 20.07.2013 को दोपहर 02:45 बजे उसके ताउ नाथूराम उनके घर गोतम नगर गोहद से दवाई लेने के लिए उसकी पत्नी निशा और भतीजे राजकुमार के साथ गोहद चौराहा मेडीकल स्टोर पर गए थे जो कि उसके ताउ नाथूराम और पत्नी बीमार थे। उसके ताउ गोहद चौराहा स्थिति पेशाब घर में पेशाब करने गए थे, पेशाब करने के उपरांत जैसे ही रोड क्रॉस करना चाह रहे थे तभी ग्वालियर की तरफ से ट्रक क्रमांक यू.पी. 78 बी.टी. 5286 का चालक अनावेदक क्रमांक 2 ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और रोड के किनारे उसके ताउ नाथूराम को टक्कर मार दी जिससे उनके सिर में दाहिने तरफ, मुँह, कान में चोट होकर खून निकला था। उन्हें इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद लाया गया था। इलाज के दौरान उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई।

घटना की रिपोर्ट उनके भतीजे राजकुमार के द्वारा थाना गोहद चौराहा में की गई जिस पर अनावेदक क्रमांक 2 के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया था जो कि मामला जे.एम.एफ.सी न्यायालय में लंबित है। आवेदक के द्वारा आपराधिक प्रकरण से प्राप्त अभिलेखों की सत्यप्रतिलिपि पेश की है जिसमें अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी. 1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2, मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 3, पी.एम. रिपोर्ट प्र.पी. 4, जप्ती पत्रक प्र.पी. 5, गिरफ्तारी 6, नक्शा मौका प्र.पी. 7, मैकेनिकल जॉच रिपोर्ट प्र.पी. 8, सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 9 एवं राशनकार्ड प्र.पी. 10 पेश किया है तथा रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी व ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी पेश की है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि घटना के समय वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था और उसने दुर्घटना के समय गाड़ी चलाने वाले को नहीं देखा था। निश्चित तौर से साक्षी का कथन स्वभाविक है कि घटना के समय घटना स्थान पर मौजूद नहीं था। साक्षी को घटना के पश्चात् घटना की जानकारी हुई थी। उसने मृतक की चोटें देखी थी।

08. दुर्घटना के संबंध में आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्षी निशा आ0सा0 2 तथा राजकुमार आ0सा0 3 के कथन कराए गए हैं। साक्षी निशा आ0सा0 2 के द्वारा बताया गया है कि दिनांक 20.07.13 को मृतक नाथूराम व राजकुमार के साथ दवाई लेने गोहद चौराहा मेडीकल स्ओर पर गई थी। इसी दौरान ट्रक क्रमांक यू.पी. 78 बी.टी. 5286 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन को चलाते हुए रोड किनारे खड़े नाथूराम को टक्कर मार दी जिससे उनके सिर, मुँह और दाहिने कान में चोटें आईं। उन्हें इलाज हेतु गोहद अस्पताल लाया गया और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।

09. आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी राजकुमार आ0सा0 3 जो कि घटना का अन्य चक्षुदर्शी साक्षी है। वह भी अपने साक्ष्य कथन में आवेदनपत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुए अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा ट्रक क्रमांक यू.पी. 78 बी.टी. 5286 के चालक के द्वारा ट्रक को तेजी व लापरवाही से चालकर नाथूराम जो कि सड़क के किनारे खड़े थे उन्हें टक्कर मारना और उनके सिर, मुँह और दाहिने कान में चोटें आना और उनकी मृत्यु हो जाना बताया है। उक्त घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा थाना गोहद चौराहा में की थी जो कि प्र.पी. 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि प्रश्नाधीन ट्रक क्रमांक यू.पी. 78 बी.टी. 5286 से टक्कर नहीं हुई थी। इस प्रकार उक्त साक्षी का कथन भी प्रतिपरीक्षण उपरांत इस बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है।

10. आवेदक पक्ष के द्वारा बताए गए तथ्य कि घटना अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा

प्रश्नाधीन वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने के फलस्वरूप दुर्घटना कारित करने से नाथूराम को चोटें आई और चोटों के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। उक्त तथ्य की पुष्टि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भी होती है जो कि आपराधिक प्रकरण से प्राप्त दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपियाँ हैं जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2, मेडीकल रिपोर्ट प्र. पी. 3, मृतक नाथूराम की पी.एम. रिपोर्ट प्र.पी. 4, जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 जिसके अनुसार प्रश्नाधीन ट्रक क्रमांक यू.पी. 78 बी.टी. 5286 व उसके कागजातों की जप्ती की गई है। गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 6, अपराध विवरण फार्म प्र.पी. 7, मैकेनिकल जाँच रिपोर्ट प्र.पी. 8, सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 9 तथा अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी. 1 से स्पष्ट है। घटना के पश्चात् घटना की रिपोर्ट उसी दिन थाना गोहद चौराहा में दर्ज कराई गई है जिसमें स्पष्ट रूप से ट्रक क्रमांक का उल्लेख करते हुए ट्रक चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से ट्रक चलाकर दुर्घटना कारित की जाने का तथ्य उल्लेखित है। आहत नाथूराम के शरीर पर चोट आना प्र.पी. 3 से स्पष्ट है, मृतक नाथूराम की मृत्यु के उपरांत उसका पोस्टमार्टम हुआ है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी. 4 से स्पष्ट कि शरीर में आई हुई चोटों के कारण आए हुए शॉक से मृत्यु होना स्पष्ट है। इस प्रकार मृतक नाथूराम की मृत्यु आई हुई चोटों से होना स्पष्ट है।

11. आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त बिन्दु पर दिए गए साक्ष्य के प्रति खण्डन में अनावेदक पक्ष के द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं कराया गया है। अनावेदक पक्ष के द्वारा यद्यपि अनावेदक क्रमांक 2 के साक्ष्य कथन कराए गए हैं। अपने कथन में साक्षी अल्लारख्खा के द्वारा बताया गया है कि प्रश्नाधीन ट्रक उसके द्वारा चलाया जाता है। ट्रक चलाने के लिए उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। उसके द्वारा कहीं भी यह तथ्य नहीं बताया गया है कि दुर्घटना उसके ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाए जाने के कारण घटित नहीं हुई है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर उक्त अनावेदक साक्षी का कोई प्रतिखण्डनात्मक कथन नहीं है।

12. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि घटना दिनांक अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा प्रश्नाधीन वाहन क्रमांक यू.पी. 78 बी.टी. 5286 को तेजी व लापरवाही से चलाकर नाथूराम जाटव को टक्कर मार दी जिससे कि नाथूराम जाटव की मृत्यु हुई। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "हाँ" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक-2:-

13- आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका में नाथूराम जाटव की उम्र उसकी मृत्यु के समय 60 वर्ष होने का उल्लेख है। इस बिन्दु पर वह अपने शपथ पर साक्ष्य कथन में

नाथूराम की उम्र मृत्यु के समय 60 वर्ष होना बतायी गयी । आवेदक साक्षी राजकुमार साक्षी क्रं03 ने भी अपने साक्ष्य कथन में मृतक की उम्र घटना के समय 60 वर्ष होना बतायी है । उपरोक्त संबंध में मृतक नाथूराम की मृत्यु के समय उम्र वाबत् कोई भी दस्तावेज पृथक से आवेदक पक्ष के द्वारा पेश नहीं किया गया है । आवेदक पक्ष के द्वारा मूल राशनकार्ड प्र0पी010 पेश किया गया है जो कि वर्ष 2006 का है । उसमें नाथूराम की उम्र 60 वर्ष उल्लेखित है । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मृतक नाथूराम की दुर्घटना के उपरांत चिकित्सीय परीक्षण हुआ जो प्र0पी0 3 है । चिकित्सीय परीक्षण में उसकी उम्र 70 वर्ष की होना उल्लेखित है तथा शव परीक्षण आवेदन और रिपोर्ट में भी मृतक नाथूराम की उम्र 70 वर्ष की होना उल्लेखित है । इस बात को आवेदक हरीसिंह के द्वारा भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है । साक्षी राजकुमार के द्वारा प्रतिपरीक्षण में मृतक की उम्र 70 साल होने से इन्कार किया है किन्तु स्वतः में बताया है कि मृतक की उम्र 68 साल के करीब होगी । इस प्रकार मृतक नाथूराम की मृत्यु के समय उम्र का सवाल है किसी भी स्थिति में मृतक की मृत्यु के समय उम्र 60 वर्ष होना प्रमाणित नहीं होता । बल्कि मृत्यु के समय मृतक नाथूराम की उम्र 68 वर्ष की होना पायी जाती है । तदनुसार वर्तमान वाद प्रश्न का निराकरण किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक-3:-

14- आवेदकगण के द्वारा अपने अभिवचन में यह बताया है कि मृतक नाथूराम मकान आदि बनाने का कुशल कारीगर था जिससे प्रतिमाह 12000/- रुपये की आय अर्जित कर लेता था । इस संबंध में आवेदक हरीसिंह आवेदक साक्षी क्रमांक-1 निशा आवेदक साक्षी क्रमांक-2 तथा राजकुमार आवेदक साक्षी क्रमांक-3 के द्वारा अपने शपथपत्र के मुख्य परीक्षण में बताया गया है कि मृतक 12000 रुपये प्रतिमाह कमा लेता है । किन्तु नाथूराम के द्वारा आय अर्जित करने के संबंध में तथा उसके द्वारा कुशल कारीगर होकर मजदूरी कर 12000/- रुपये प्रतिमाह कमा लेने के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है । इस संबंध में कोई भी ऐसे व्यक्ति को साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया गया है जो कि यह बताये कि नाथूराम के द्वारा उनके यहां कारीगरी का काम किया गया । निश्चित रूप से नाथूराम जो कि 68-70 साल के बृद्ध व्यक्ति हैं इस उम्र के व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह कारीगरी का काम कर कोई निश्चित आय अर्जित कर सके । 68-70 वर्ष का व्यक्ति जो कि मजदूरी पेशा होना कहा जा रहा है वह इस उम्र में कोई आमदनी अर्जित कर अपने परिवार में योगदान करे ऐसा भी सामान्यतः मान्य नहीं किया जा सकता । इस आशय का कोई प्रमाण भी पेश नहीं है कि मृतक उक्त आय अर्जित कर लेता था । ऐसी दशा में मृतक के द्वारा मृत्यु के समय कारीगरी कर 12000/- रुपये आय अर्जित करने के संबंध में तथ्य प्रमाणित नहीं है ।

तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण "नहीं" में किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक-4:-

15- वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी पर है जिनके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन ट्रक मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों तथा बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत चलाया जा रहा था । किन्तु इस बिन्दु पर अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी के द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है । ऐसी स्थिति में जबकि वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी पर था इस संबंध में अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है और न ही प्रकरण में कोई ऐसी साक्ष्य आयी है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रश्नाधीन वाहन ट्रक मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों तथा बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत चलाया जा रहा था । तदनुसार उक्त वाद प्रश्न का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक-5:-

16- प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं वाद प्रश्नों पर निकाले गये निष्कर्षों से प्रमाणित होता है कि ट्रक क्रमांक यू0पी075 बी0टी0 1286 के चालक के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये आवेदक नाथुराम को टक्कर मारी जिससे नाथुराम की मृत्यु हो गयी । आवेदकगण ने मृतक नाथुराम के भाई की पत्नी और भाई का लडका होना बताते हुये उसके विधि प्रतिनिधि होने के आधार पर वर्तमान याचिका पेश की गयी है । प्रकरण में आयी हुयी साक्ष्य से स्पष्ट है कि नाथुराम अविवाहित था और उनके स्वयं की कोई सन्तान नहीं है । यद्यपि आवेदक क्रमांक-2 हरीसिंह के द्वारा नाथुराम के द्वारा उन्हें गोद लेना बताया है किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज आदि पेश नहीं है कि हरीसिंह को नाथुराम के द्वारा गोद लिया गया है । चूंकि नाथुराम के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वर्ग-1 में वर्णित कोई बारिस नहीं है । प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि नाथुराम आवेदकगण के साथ ही रहता था । आवेदकगण के द्वारा नाथुराम के विधि प्रतिनिधि होने के संबंध में राशनकार्ड प्र0पी0 10 भी पेश किया है जिसमें नाथुराम का उनके साथ रहना और आवेदिका क्रमांक-1 उसके भाई की पत्नी होना स्पष्ट है तथा आवेदक क्रमांक-2 हरीसिंह उसका पुत्र होने का उल्लेख है । आवेदनपत्र में भी हरीसिंह के द्वारा अपने पिता का नाम बट्टीप्रसाद लेख है जो कि मृतक नाथुराम का भाई है । इस प्रकार वह नाथुराम के भाई का पुत्र है । उक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण मृतक नाथुराम के विधि प्रतिनिधि होने के आधार पर वर्तमान क्लेम आवेदनपत्र प्रस्तुत करना और विधि प्रतिनिधि के आधार पर प्रतिकर प्राप्त करने में सक्षम है ।

17— प्रकरण में आयी हुयी साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतक नाथुराम मृत्यु के समय 68 वर्ष की उम्र के थे । नाथुराम की कोई स्वयं की आमदनी अर्जित करने की क्षमता हो ऐसा कहीं भी प्रमाणित नहीं है । ऐसी दशा में आवेदकगण किसी प्रकार से नाथुराम पर आश्रित हैं तथा नाथुराम की मृत्यु के कारण उन्हें आमदनी का कोई नुकसान हुआ हो ऐसा मान्य नहीं किया जा सकता । तदापि नाथुराम जो कि आवेदकगण के साथ रहता था आवेदकगण उनके विधि प्रतिनिधि हैं उसका अन्तिम संस्कार आदि आवेदकगण के द्वारा ही किया गया है । उक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण को मृतक नाथुराम का विधिक प्रतिनिधि होने और उसके अन्तिम संस्कार के खर्चे सहित कुल मिलाकर 600000/- साठ हजार रुपये की राशि दिलाया जाना न्यायोचित है ।

18— उक्त प्रतिकर की राशि अदा करने का जहां तक प्रश्न है उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 1 के स्वामित्व का है तथा अनावेदक क्रमांक -2 के द्वारा चलाया जा रहा था तथा अनावेदक क्रमांक-3 की बीमा कंपनी में बीमित था । बीमा कंपनी पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होना और मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत चलाया जाना भी प्रमाणित नहीं है । ऐसी दशा में प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक-1 लगायत 3 का संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से रहेगा । तदनुसार आवेदकगण क्षतिपूर्ति के रूप में आवेदकगण से 60000/- साठ हजार रुपये की राशि एवं उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पाने का भी हकदार है ।

19— उपरोक्त विवेचना एवं विप्लेषण के परिप्रेक्ष्य में पूर्ववती बिन्दुओं पर निकाले गये निष्कर्षों के आलोक में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका आंशिक रूप से प्रमाणित पायी जाती है तथा क्लेम याचिका निम्न रूप से स्वीकार कर इस आशय का अवार्ड पारित किया जाता है :-

- 1—आवेदकगण अनावेदकगण से संयुक्त अथवा पृथक पृथक रूप से 600000/- साठ हजार रुपये की राशि एवं उस पर दावा प्रस्तुति दिनांक से बसूली दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने के भी हकदार हैं ?
- 2—उक्त प्रतिकर की राशि जमा होने पर आवेदक क्रमांक-1 एवं अनावेदक क्रमांक-2 उक्त राशि आधी आधी प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?
- 3—प्रत्येक आवेदक को प्राप्त होने वाली राशि का 60 प्रतिशत भाग पांच वर्ष की अवधि के लिये उनके सावधि खाते में जमा की जाये तथा शेष राशि उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंक के

बचत खाते के माध्यम से नगद प्रदान की जाये ।

4-अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय हो ।

तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये ।

अवार्ड खुले न्यायालय में दिनांकित व

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी० थपलियाल)

अति० मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी० थपलियाल)

अति० मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
गोहद जिला भिण्ड